न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), आजमगढ़।

सेशन केस०नं०–**258/2022**

स्टेट–बनाम–सत्यम यादव व एक अन्य।

मु०अ०सं०–**06/2022**

धारा– **323, 504** भा०दं०सं०

एवं **3(1)द, 3(1)ध** एस०सी०/एस०टी० एक्ट।

थाना–फूलपुर, जिला आजमगढ़।

दिनांकः08.07.2024

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्तगण **सत्यम यादव एवं डब्लू उर्फ शशिकान्त यादव** मय विद्वान अधिवक्ता हाजिर अदालत हैं। राज्य की तरफ विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन, परिशीलन किया।

उभयपक्ष को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्तगण **सत्यम यादव एवं डब्लू उर्फ शशिकान्त यादव** के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा– **323, 504** भा०दं०सं० एवं धारा– **3(1)द, 3(1)ध** एस०सी०/ एस०टी० एक्ट का आरोप बनता है।

अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उन्होंने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की याचना किया। अभियोजन साक्षीगण जरिये समन तलब हो। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनाँक **16.09.2024** को पेश हो।

दिनांक–08.07.2024

(कमलापति–I)
J.O. Code-UP-6168
विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
आजमगढ़।

Digitally signed by KAMALA PATI PAL
Date: 2024.07.08 14:37:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), आजमगढ़।</u>

सेशन केस०नं०–**258/2022**

स्टेट–बनाम–सत्यम यादव व एक अन्य।

मु०अ०सं०–**06/2022**

धारा– **323, 504** भा०दं०सं०

एवं **3(1)द, 3(1)ध** एस०सी०/एस०टी० एक्ट।

<u>थाना–फूलपुर, जिला आजमगढ़।</u>

आरोप

मैं **कमलापति–I** विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), आजमगढ़ आप अभियुक्तगण **1–सत्यम यादव एवं 2–डब्लू उर्फ शशिकान्त यादव** को एतद्द्वारा निम्न लिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 06.01.2022 समय 11.00 बजे दिन, बहद स्थान ग्राम भाटिनपारा, थाना फूलपुर, जिला आजमगढ़ में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा शनि सोनकर को क्रिकेट मैंच खेलते समय, सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने **धारा–323 भा०दं०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा उपरोक्त को लोक शांति भंग कराने के लिए प्रकोपित करने के आशय से गाली–गलौज देकर साशय अपमानित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने **धारा–504 भा०दं०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा उपरोक्त को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, को लोक दृष्टि में अवमानित करने के आशय से अपमानित या अभित्रस्त किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने **धारा–3(1)द एस०सी०/एस०टी० एक्ट** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा उपरोक्त को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य हैं, को लोक दृष्टि में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज देकर साशय अपमानित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने **धारा–3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

<u>दिनांक–08.07.2024</u>

(कमलापति–I)
J.O. Code-UP-6168
विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
आजमगढ़।

आरोप अभियुक्त को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की मांग किया।

दिनांक–08.07.2024

(कमलापति–I)
J.O. Code-UP-6168
विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
आजमगढ़।